भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 761

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का डिजीटलीकरण

761. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों में शौचालय, पेयजल, स्वच्छता, बिजल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पोषण 2.0 में उल्लिखित सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी ढांचा सुविधा में सुधार के लिए, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल सुविधा के निर्माण के लिए प्रावधान को पूर्ववर्ती 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए पूर्ववर्ती 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पेयजल सुविधाओं के निर्माण के लिए 61189 आंगनवाड़ी केंद्रों और शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए 65790 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 20.11.2024 तक, पेयजल सुविधाओं के निर्माण के लिए 4768 आंगनवाड़ी केंद्रों और शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए 1437 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर, 2024 तक 11,47,213 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा और 9,16,105 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एमपीएलएडी, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए धन प्राप्त करना जारी रखने की सलाह दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां स्थान उपलब्ध हो।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करते हुए तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बना दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही उन्हें एक साथ चल रही सभी गतिविधियों की रीयल टाइम निगरानी करने की सुविधा मिली है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला पैमाना, माता और बच्चे का वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

****